संख्या–2907/79–6–04–1(6)/2000टी0सी–2

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2006

विषयः विकास खण्ड स्तर पर मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना।

महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने की योजना प्रदेश में संचालित है और इस योजना के संचालन का दायित्व गांव पंचायत को दिया गया है। शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि ग्राम प्रधानों के स्तर पर योजनाओं के संचालन किए जाने में शिथिलता बरती जा रही है। साथ ही साथ कन्वर्जन कास्ट की धनराशि एवं उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का उपयोग समुचित ढ़ंग से नहीं हो रहा है और इसका लेखा–जोखा भी सही ढ़ंग से गांव पंचायत स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि नव–निर्वाचित ग्राम प्रधानों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी न होने के कारण भी कठिनाई आ रही है।

2. प्रदेश के कतिपय जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी को विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी बनाये जाने से योजना का सफल एवं प्रभावी संचालन हुआ है। अतः योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु अपने स्तर से विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को इस योजना हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध आवश्यक निर्देश निर्गत करने पर विचार कर लें। उनकी सहायता के लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप नोडल अधिकारी होंगे। इन नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत योजना को समुचित ढ़ंग से संचालित करायें तथा प्रत्येक माह विकास खण्ड स्तर पर होने वाली बैठक में ग्राम प्रधानों को योजना के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्देश देते रहें। साथ ही साथ सरकारी खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट की धनराशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं समीक्षा अपने स्तर से प्रत्येक माह करें।

3. यदि नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को योजना के संचालन में कठिनाई आ रही है तो उनको विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता से तत्काल प्रशिक्षित किए जाने की भी आवश्यकता है। अतः आगामी मासिक बैठकों में खण्ड विकास अधिकारी गांव प्रधानों को प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करायेंगे।

मध्यान्ह पोषाहार योजना बेसिक शिक्षा विभाग की अति महत्वपूर्ण योजना है। अतः इसको प्रभावी ढ़ंग से लागू किए जाने के बारे में यथावश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें तथा समय–समय पर इसका अनुश्रवण अपने स्तर से भी करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त काषाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(कामरान रिज़वी)
विशेष सचिव

जे0एस0दीपक
सचिव,

अर्द्ध0शा0प0सं 198/79–6–06
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2006

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजना के प्रभावी संचालन के संबंध में दिनांकः 16–1–06 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलों एवं जिलों की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त आजमगढ़, कानपुर एवं आगरा द्वारा उक्त समीक्षा में यह अवगत कराया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे गेहूँ एवं चावल की खराब गुणवत्ता की आपूर्ति की जा रही है। कहीं–कहीं खाद्यान्न में बदबू भी आ रही है जिससे तैयार भोजन को खाने के बाद प्रदेश के कई जनपदों में बच्चों के बीमार पड़ने, उल्टी, दस्त होने संबंधी खबर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी है।

इस संबंध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा हुयी है कि मध्यान्ह पोषाहार योजना की महत्ता के दृष्टिगत कृपया उत्तम गुणवत्ता की खाद्य सामग्री (गेंहूँ एवं चावल) की आपूर्ति हेतु संबंधित को निदेश जारी करने का कष्ट करें जिससे की बच्चों के स्वास्थ्य एवं मध्यान्ह पोषाहार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)

श्री हुकुम सिंह
महा प्रबन्धक
भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0
टी0सी0–3/5 विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपिः 198 (1)/79–6–06 तद्दिनांक</u>

उपरोक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री जे0पी0शर्मा,
जोनल मैनेजर (कार्यकारी निदेशक)
भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0
ए–2ए सेक्टर–24
नोयडा